न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राज0)

(बईजिलास सुरेश कुमार ओला I.A.S.)

प्रकरण संख्या 03 / 2020 दायर दिनांक 25.05.2020

फैसल दिनांक 18.05.2021

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

बनाम

श्री भोगीलाल कलाल पिता गौतमलाल कलाल, उचित मूल्य दूकानदार सेन्टर डेडको का वेला, ग्रा. पं. कांकरादरा तहसील व जिला डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6ए (i) (ii)

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर की और से विरूद्ध विपक्षी के इस आशय प्रस्तुत किया है कि श्री भोगीलाल कलाल (विपक्षी) अपनी उचित मूल्य की दूकान डेडको का वेला ग्राम पंचायत कंकरादरा पर स्टॉक से अधिक मात्रा में गेंहू का दुरूपयोग करने की मंशा से संग्रहित करना पाया जाने से कुल 49.27 क्वि0 गेहू (98 कट्टे पेक व एक लूज कट्टा) अवैध भण्डारण किया जाने से जप्त शूदा गेहूं को राजसात करने हेतु प्रकरण धारा 6ए (i)(ii) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्ररकण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि विपक्षी अचित मूल्य दूकान डेडको का वेला का अधिकृत डीलर है। विपक्षी के विरूद्ध राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत की प्राथमिक जांच पटवारी हल्का कांकरादरा की जाने पर राशन धारियों को कम गेहूं वितरण करना बताया जाने पर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के निर्देश पर प्रार्थी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा उक्त अचित मूल्य की दुकान की पंचायत कोर कमेटी व रापंच ग्राम पंचायत कांकरादारा के साथ जांच की गई। वक्त जांच विपक्षी द्वारा कोविड–19 के दिशा निर्देश अनुसार राशन की होम डिलेवरी नहीं कर अचित मूल्य की दुकान काफी राशधारियो की भीड कर सोशियल डिस्टेसिंग की पालना किये बिना राशन वितरण करना पाया गया । जांच के दौरान उपस्थित उपभोक्ताओं ने डीलर द्वारा 5 किलो प्रति युनिट की निर्धारित मात्रा गेहूं नहीं देना बताया। मौके पर 13 राशन कार्डो की पोश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट व दी गई मात्रा की पुछताछ करने पर 155 किलो गेहूं कम देना जांच में बताया गया। वक्त जांच कुल गेहूं की रिपोर्ट अनुसार 10408 किग्रा पाया गया तथा 30.75 क्वि0 गेहू का वितरण किया गया इस प्रकार 7373 किग्रा0 गेहू होना चाहिये था, जबकि सत्यापन करने पर 123 क्वि0 गेहू स्टॉक में पाया गया। इस प्रकरा 49.27 क्वि0 गेहूं स्टॉक के मुकाबले अधिक पाया गया है। विपक्षी द्वारा मई 2020 का गेहूं 108 क्वि0 20 किलोग्राम अपने मकान ग्राम भाडा में उतरवाया गया तथा पोश मशन में नहीं चढाया जाना बताया। सत्यापन करने पर 212½ कट्टे सही पाये गये। अधिकृत डिलर विपक्षी द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर कोविड–19 की दिशा निर्देशों की अवहेलना करके, सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने व होम डिलीवरी नही किया जाने तथा राशन वितरण में राशनधारियों को निर्धारित मात्रा में युनिट अनुसार गेहू नही दिया जाना अनियमितता की गई है। स्टॉक से अधिक 49.27 क्वि0 गेहूं का दुरूपयोग करने की मंशा से संग्रहित किया जाने से गेहूं को जप्त सरकार कर नजदीकी डिलर व्यवस्थापक बहू–उद्देशिय पट्टी उत्पादक सहकारी समिति उचित मूल्य दुकान [illegible] को सुपुर्द किया गया।

विपक्षी द्वारा उक्त अनियमितता की जांच से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियम) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, 10, 15, की अवहेलना करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 6 A(i) (ii) के तहत जप्त शुदा 49.27 क्वि0 गेहूं को राजसात करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालत नामा एवं जवाब पेश किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola

Date: 2021.07.14 11:03:33 IST

Reason: SelfAttested

प्रकरण में विभागीय पेरोकार एवं वकील विपक्षी की बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील विपक्षी ने अपने जवाब के तथ्यों की पुनरावृति की गई।

विभागीय पेरोकार ने बहस में तथ्य प्रकट किया कि विपक्षी उचित मूल्य दूकान डेडको का वेला के अधिकृत डीलर होकर राशनधारियों को नियमित खाद्यान्न वितरण किया जाता है। विपक्षी डीलर के विरूद्ध राशन धारियों को कोविड–19 की महामारी के दौरान माह अप्रेल में निर्देश के बावजूद उचित मूल्य सेन्टर पर काफी राशनधारियों की भीड कर सोशियल डिस्टसिंग की पालना किये बिना खाद्यान्न का वितरण किया जाना निर्देशों की अवहेलना की गई है। वक्त मौका जांच विपक्षी डिलर द्वारा उपभोक्ताओं को 5 किग्रा0 प्रति युनिट की मात्रा में गेहूं नही दिया जाकर 13 राशन कार्डो के पोश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट व दी गई मात्रा की पुछताछ करने पर 155 किग्रा0 गेहूं कम वितरण करना पाया गया है। विपक्षी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण किया जाना नियमों के विपरीत होकर दूषित मानसिकता को दर्शाना बताया गया। प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय द्वारा दिनांक 17.04.2020 को सेन्टर की दैनिक वितरण एवं स्टॉक की जांच करने पर 49.27 क्वि0 गेहूं अधिका पाया जाना तथा राशन उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा अनुसार गेहू का वितरण नही करना विपक्षी डिलर की गेहूं की कालाबाजारी की नियत को दर्शाता है तथा कोविड–19 की गाईडलाईन अनुसार अपभोक्ताओं को खाद्यान्न की होम डिलेवरी नही करना नियमों की पालना नही की जाना पाया गया है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, 10, 15, 17 (C) की अवहेलना करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 A(i) (ii) के तहत जप्त शुदा गेहूं 49.27 क्वि0 को राजसात करने का राजकीय पेरोकार ने अनुरोध किया गया।

विपक्षी के योग्य अभिभाषक ने कथन किया कि उचित मूल्य की दूकाना डेडको का वेला का अधिकृत डिलर है। दिनांक 17.04.2020 को अधिकृत राशन सेन्टर पर राशनधारियों की कॉफी भीड एकत्रित हो गई तथा विपक्षी को कोविड–19 की गाईडलाईन निर्देशों अनुसार डोर टू डोर होम डिलेवरी खाद्यान्न वितरण करने हेतु उपभोक्ताओं को कहने पर हल्ला मचाया जिससे सभी उपभोक्ताओं को राशन दूकान पर गेहूं वितरण किया गया। राशन उपभोक्ताओं के रवैये के कारण कुछ हद तक सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो सकी जिसमें विपक्षी का कोई दोष नहीं होना विद्वान अभिभाषक द्वारा बताया गया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम गेहूं देने के मिथ्या आरोप है। प्रार्थी द्वारा राशनकार्डधारी का गेहूं जप्त कर अनुसंधान नही किया है जिससे राशनधारियों को निर्धारित मात्रा में गेहूं वितरण नहीं करने का आरोप प्रमाणित नही होता है।

विपक्षी विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि विपक्षी डिलर द्वारा निरीक्षण दिनांक 17.04.2020 को कुल 30.35 क्वि0 गेहूं का राशनधारियों का पोश मशीन में इन्द्राज कर वितरण किया गया है तथा 18.90 क्वि0 गेहूं का वितरण पोश मशीन में था किन्तु राशनधारियों को वितरण किया जाना शेष था को गलत तरीके से जोडकर शेष होना बताया जो विधि संगत नही है। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने यह भी तथ्य प्रकट किये कि उचित मूल्य की दूकान पर नेटवर्क की भारी समस्या होने से के कारण नेटवर्क उपलब्ध होने पर एक साथ राशनधारियों को खाद्यान्न वितरण की एडवान्स में पोश मशन में दर्ज किया गया था किन्तु खाद्यान्न वितरण से शेष होने से वक्त जांच गेहूं स्टॉक में अधिका पाये जाना स्वाभाविक था। विपक्षी डिलर द्वारा किसी प्रकार से राशन खाद्यान्न का गबन करने की मंशा नहीं रही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अपील किया जाकर जप्त शुदा 49.27 क्वि0 गेहूं को वापस लौटाने का विपक्षी अभिभाषक ने अनुरोध किया।

हमारे द्वारा उमपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी उचित मूल्य दूकान डेडको का वेला का अधिकृत डिर है। उक्त सेन्टर की पटवारी हल्का कांकरादरा के माध्यम से राशनधारियो को कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी डूंगरपुर एवं उनके दल द्वारा दिनांक 17.04.2020 को उचित मूल्य की दूकान का निरीक्षण/जांच की गई। जांच के दौरान कई उपभोक्ताओं द्वारा मौके पर कम राशन खाद्यान्न वितरण किया जाना बताया। मौके पर उपस्थित 13 राशनधारियों को डिलर द्वारा निर्धारित मात्रा से कम गेहूं वितरण करने की पुष्टि राशन कार्ड की जांच से पाया गया। जिससे डिलर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.07.14 11:03:33 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा खाद्यान्न वितरण करने में अनियमितता बरती जाना नियम विरूद्ध है। सेन्टर पर गेहूं के स्टॉक का सत्यापन करने पर 104.08 क्वि0 में से वितरण 30.35 क्वि0 वितरण किया जाने पर शेष स्टॉक 73.73 क्वि0 गेहूं होना चाहिए था किन्तु मौके पर 123 क्वि0 गेहूं पाया गया जो कि स्टॉक एवं वितरण के उपरान्त 49.27 क्वि0 गेहूं स्टॉक से अधिक पाया गया है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दैनिक वितरण की सूची अनुसार राशन धारियों को गेहूं का 30.35 क्वि. वितरण प्रमाणित करता है। विपक्षी का उक्त तथ्य जांच के दौरान भी प्रमाणित है । विपक्षी डिलर द्वारा वितरण के उपरान्त भी 49.27 क्वि0 स्टॉक से अधिक पाया जाने से स्पष्ट है कि विपक्षी डिलर द्वारा उपभोक्ताओ को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराये गया है जो विपक्षी डिलर की गेहूं की कालाबाजारी की मंशा को दर्शाता है। विपक्षी डिलर द्वारा अपने कथन में की पुष्टि मे यह प्रमाणित नही किया है कि सेन्टर पर नेटवर्क की भारी समस्या होने के कारण पोश मशीन में उपभोक्ताओं के गेहूं वितरण की मात्रा एडवांस में दर्ज कर दी जाने के बाद उन्हें गेहूं बाद में वितरण कर दिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी डिलर द्वारा राशनधारियों को निर्धारित मात्रा में युनिट अनुसार गेहूं नही देकर अवैध रूप से गोदाम में स्टॉक से अधिक मात्रा में दुरूपयोग करने की मंशा से भण्डारित किया जाने की पुष्टि होती है। विपक्षी डिलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 A(i)(ii) के तहत जप्त शुदा 49.27 क्वि0 गेहूं राजसात किया जाना उचित होकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। जप्तशुदा 49.27 क्वि0 गेहूं राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जप्त किये गये 49.27 क्वि0 गेहूं सुपूर्दकर्ता से प्राप्त कर नजदीकी उचित मूल्य की दूकान के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वितरण कराकर उससे प्राप्त राशि सक्षम न्यायालय के निर्णय तक अपने कार्यालय में अमानत के रूप में जमा रखी जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-05-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.07.14 11:03:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)